प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **88/2025** (अपील सूचना का अधिकार)

Prakash Chandra Paliwal Add: 287-A, Shreenath Villa, Charbhuja ji Mandir, Ganesh Nagar, Parda, Tehsil-Girwa, Udaipur

..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 28/07/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329451562303224 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 29.04.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 6520894522 दिनांक 03.06.2025 व 6448749853 दिनांक 02.07.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/88/25/585–86 दिनांक 03.06.2025 एवं 703–04 दिनांक 08.07.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकार एवं तहसीलदार गिर्वा द्वारा जरिये पत्रांक भू.अ./सू.अ./2005/प्र.अ.स./88/25/996 दिनांक 16.07.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के क्रम में पत्र के बिन्दु संख्या 1 की सूचना उपखण्ड कार्यालय से संबंधित होने से इस कार्यालय के पत्रांक 989 दिनांक 15.07.2025 से लिखा गया तथा बिन्दु संख्या 2 की सूचना कार्यालय से संबंधित होने से रिकोर्ड प्रभारी से रिपोर्ट ली गई। रिकॉर्ड प्रभारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना रिकॉर्ड रूम की तलाशी में नही मिल पाई एवं प्रार्थी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया कि सूचना किस संदर्भ से संबंधित है। अतः प्रार्थी यह अवगत करावे कि उक्त पत्रांक किस आदेश से संबंधित है तथा प्रार्थी के पास बिन्दु संख्या 2 में चाही गई पत्रांक की प्रति हो तो कार्यालय में उपलब्ध करावे ताकि रिकॉर्ड तलाशी में आसानी हो सके। अतः निवेदन है कि उक्त प्रकरण निरस्त करने का आदेश फरमावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गिर्वा द्वारा अपने जवाब में कथन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

से संबंधित बिन्दु संख्या 1 की सूचना उपखण्ड कार्यालय से संबंधित होने से जरिये पत्रांक 989 दिनांक 15.07.2025 से लिखा गया एवं बिन्दु संख्या 2 से संबंधित सूचना रिकॉर्ड प्रभारी की रिपोर्ट अनुसार रिकॉर्ड नहीं मिलने से सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। प्रथम दृष्टया यह न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी द्वारा चाही जा रही बिन्दु संख्या 2 की सूचना से संबंधित रिकॉर्ड की गहन खोज कर अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये। रिकॉर्ड नहीं मिलने की स्थिति में संबंधित थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराये तथा रिकॉर्ड संधारित करने से संबंधित कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए 15 दिवस के भीतर न्यायालय को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/07/25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर